संचिका सं0–5/आर0एल0–40–150/2025 श्र0सं0 – ....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

प्रेषक,

राजेश भारती, भा0प्र0से0
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक : ....

विषय :– संविदा के आधार पर श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर नियोजित श्री रामानुज ब्रह्मचारी, श्री शंकर दयाल उपाध्याय एवं श्री नागेन्द्र कुमार पाण्डेय का विभागीय पत्रांक–3912 दिनांक–24.07.2017 द्वारा निर्धारित मानदेय के पुनर्निधारण के संबंध में।

महाशय,

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-17616/2022 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश संख्या–153–सह–पठित ज्ञापांक–7002, दिनांक–18.12.2024 द्वारा अनुमान्य प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 में संशोधन की स्वीकृति के फलस्वरूप मूल वेतन में हुए परिवर्त्तन एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–107 दिनांक–04.01.2023 के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के मानदेय निर्धारण के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–3912 दिनांक 24.07.2017 में सम्मिलित निम्नलिखित तीन श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के मानदेय का पुनर्निधारण निम्नवत् किया जाता है–

क्र0 सं0	संविदा के आधार पर नियोजित श्रम प्रवर्तन पदा0 का नाम/गृह जिला	सेवा निवृत्ति की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त संशोधित मूल वेतन (ग्रेड पे सहित) एवं प्राप्त महँगाई भत्ता = कुल योग	स्वीकृत संशोधित पेंशन की राशि देय महँगाई भत्ता का योगफल	निर्धारित संशोधित मानदेय (मासिक पारिश्रमिक) (4 – 5 = 6)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री रामानुज ब्रह्मचारी, गृह जिला–नालंदा	31.08.2015	35520+42269=77789 (119%)	17760+21134 =38894	(77789–38894=38895) 38895/–	
2	श्री शंकर दयाल उपाध्याय गृह जिला–बलिया यू0पी0	31.01.2016	35520+44400=79920 (125%)	17760+22200 =39960	(79920–39960=39960) 39960/–	
3	श्री नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, गृह जिला–सिवान	31.01.2015	34480+38962=73442 (113%)	17240+19481 =36721	(73442–36721=36721) 36721/–	

Niraj-7

संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश है कि उक्त तीनों पदाधिकारियों को संविदा अवधि में भुगतान की गयी राशि की गहनतापूर्वक जॉच करने के उपरांत ही अन्तर राशि के भुगतान की नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अन्तर राशि के भुगतान के क्रम में यदि अधिक भुगतान किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो भुगतान की गयी अधिक राशि की कटौती नियमानुसार उनके पेंशन से कर ली जायगी।

विभागीय पत्रांक–3912 दिनांक 24.07.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। पत्र की शेष बातें यथावत् रहेगी।

ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–150/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–150/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर/श्रमायुक्त के सचिव/श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर/संविदा के आधार पर नियोजित सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–150/2025 श्र०सं०– 363 पटना, दिनांक– 21/01/2026

प्रतिलिपि–आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को वेबासाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/1/26
श्रमायुक्त, बिहार

Niraj-8